न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–94/20 (2020/00149) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–लादीदेवी पत्नि शंकरलाल भील निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–लालीदेवी पत्नि सोहनलाल भील निवासी भीलोकाखेड़ा पालरां तह. रायपुर जिला भीलवाडा
3–शंकरलाल पिता शोभालाल भील निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–सोहनलाल पिता गोपीलाल भील निवासी भीलोकाखेड़ा पालरां तह. रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 20.08.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि खातेदार लादीदेवी पत्नि शंकरलाल भील निवासी मण्डोल एवं लालीदेवी पत्नि सोहनलाल भील निवासी भीलोकाखेड़ा पालरां एवं शंकरलाल पिता शोभालाल भील निवासी मण्डोल तथा सोहनलाल पिता गोपीलाल भील निवासी भीलोकाखेड़ा पालरां के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केमुणिया में स्थित आराजी नम्बर 1812 रकबा 1.08 है0 भूमि खातेदार है उक्त भूमि में प्रार्थीगण रायपुर से गंगापुर जाने वाली जाने वाली सड़क से जो आराजी नम्बर 1729 है से होता हुआ बिलानाम आराजी नम्बर 1816 में होकर सीधे अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 1812 में प्रवेश करते है। आराजी नम्बर 1816 राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है जिसे प्रार्थीगणो का आवागमन होता है प्रार्थी नियमानुसार राजकीय राशि जमा कराने को तैयार है। अतः रास्ता दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 14.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी की ओर से पत्रावली पर अंकित किया प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान का प्रयोग रास्ते के रूप में कर रहा है ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम केमुणिया के आराजी नम्बर 1812 रकबा 1.08 है0 खातेदार लादी देवी पत्नि ह्याकरलाल 25/108 भी शकिन मण्डोल, लालीदवी पत्नि सोंहलाल 25/108 भील साकिन भीलोकाखेड़ा पालरां शंकरलाल पिता शोभालाल 33/108 भी साकिन मण्डोल सोहनलाल पिता गोपीलाल 25/108 भील साबिक भीलोकाखेड़ा पालरां के नाम खातेदारी हक से दर्ज रकार्ड है। उक्त भूमि में आवागमन हेतु ग्राम रायपुर से गंगापुर जाने वाली सड़क में बिलानाम आराजी नम्बर 1816 रकबा 0.74 है0 किस्म छा.क. व आराजी नम्बर 1808 रकबा 3.04 है0 किस्म छा. में होकर अपनी आराजी में आवागमन कर रहे है मौके पर उक्त भूमि खाली होकर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। उक्त आराजी प्रार्थी 30 फीट चौड़ा रास्ता रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। आराजी नम्बर 1816 रकबा 0.74 है0 मे से रकबा 0.0850 है0 एवं आराजी नम्बर 1808 रकबा 3.04 है0 मे से रकबा 0.01 है0 यानि कुल 950

वर्गमीटर भूमि को रास्ता हेतु प्रस्तावित किया है जिसको नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। डीएलसी दर असिचिंत पास की राशि 64750 रूपये प्रति बीघा है जिसके अनुसार दुगुनी राशि 56930 रूपये बनती है जिसको राजकोष में जमा कराने हेतु प्रार्थी सहमत है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने में कोई सार्वजनिक आपत्ति नही है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मनन तो पाया कि प्रार्थीगण वर्तमान में जिस जगह रास्ते का उपयोग कर रहा है वह खसरा नम्बर 1816 व 1808 रास्ते के रूप मे ही होकर बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है जहां प्रार्थीगण का मौका रिपोर्ट के अनुसार आवागमन होता है ऐसी स्थिति प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1816 रकबा 0.74 है0 मे से 850 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 1808 रकबा 3.04 है0 मे से 100 वर्गमीटर यानि कुल 950 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 950 वर्गमीटर भूमि किमत किमत 28465 रूपये की दुगुनी राशि 56930 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाडा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–94/20 (2020/00149) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–लादीदेवी पत्नि शंकरलाल भील निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–लालीदेवी पत्नि सोहनलाल भील निवासी भीलोकाखेड़ा पालरां तह. रायपुर जिला भीलवाडा
3–शंकरलाल पिता शोभालाल भील निवासी मण्डोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–सोहनलाल पिता गोपीलाल भील निवासी भीलोकाखेड़ा पालरां तह. रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1816 रकबा 0.74 है0 मे से 850 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 1808 रकबा 3.04 है0 मे से 100 वर्गमीटर यानि कुल 950 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 950 वर्गमीटर भूमि किमत किमत 28465 रूपये की दुगुनी राशि 56930 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.24 14:43:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: